संख्या- 85 /2016- 1295/नौ-5-16-01बजट/2013

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज-1) के कार्यो हेतु तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-80/नागर-2/033-410/16 दिनांक 07.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर की पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज-1) के कार्यो हेतु निर्धारित लागत रू0 861.87 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 172.374 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-5226/नौ-5-2012-01बजट/2013, दिनांक 22.03.2013 एवं द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश सं0-1071/नौ-5-14-01बजट/2013, दिनांक 13.03.2014 द्वारा तथा त्रतीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-274/2015-3079/नौ-5-15-01बजट/2013 दिनांक 10.08.2015 द्वारा निर्गत की गई थी, जिसका उपभोग हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 389.49 लाख (रू0 तीन करोड़ नवासी लाख उन्चास हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) संदर्भित शासनादेश दिनांक 22.03.2013 एवं 13.03.2014 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी/उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(8) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

--------2/

go finance mangal font

shasanadesh.up.nic.in

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान "के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 08 /2016- 1295/नौ-5-16-01बजट/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), 30प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/जौनपुर।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ ।
6- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (वा0क्षे0), 30प्र0 जल निगम, वाराणसी।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, 30प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

go finance mangal font

shasanadesh.up.nic.in

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-13/04/2016

प्रेषण संख्या:- 85

आवंटन आदेश संख्या:- 001-85-2016-1295-9-5-16-01B-2013

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	38949000 38949000	38949000 38949000
	योग	वर्तमान प्रगामी	38949000 38949000	38949000 38949000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ नवासी लाख उनचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ नवासी लाख उनचास हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी